दिनांक 31.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 31 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 एवं पुलिस अधीक्षक, विशेष जॉच, उ0प्र0, लखनऊ के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह सम्पन्न

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा श्री विनोद कुमार मिश्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0, श्री शफीक अहमद, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 एवं श्री रामयज्ञ, पुलिस अधीक्षक, विशेष जॉच, उ0प्र0, लखनऊ के सेवानिवृत्ति के अवसर पर आज दिनॉकः 31.05.2024 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह में सेवानिवृत्त अधिकारीगण को मोमेन्टो भेंट किया गया तथा सेवाकाल के दौरान किये गये कार्यो की सराहना करते हुए उनके एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी।

श्री विनोद कुमार मिश्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 का जन्म 22 मई 1964 को जनपद जौनपुर में हुआ था। वर्ष 1992 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद देवरिया, पीलीभीत, लखनऊ, औरैया, रेलवे लखनऊ, मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं सहायक सेनानायक, 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2005 में अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सीतापुर, इलाहाबाद, उन्नाव, सम्भल, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, अपर पुलिस अधीक्षक(क्राइम), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2015 में "भारतीय पुलिस सेवा" में प्रोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मथुरा, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर, पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी लखनऊ,

सेनानायक 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में ''पुलिस उपमहानिरीक्षक'' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उपमहानिरीक्षक, सीबीसीआईडी लखनऊ के पद पर नियुक्त हुए। वर्तमान में पुलिस उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे।

गणतन्त्र दिवस 2015 के अवसर पर पुलिस पदक, स्वतंत्रता दिवस 2016 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह सिल्वर, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं गणतन्त्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह गोल्ड से सम्मानित किया गया है।

श्री शफीक अहमद, **पुलिस उपमहानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0** का जन्म 01 जून 1964 को जनपद फैजाबाद में हुआ था। वर्ष 1994 में ''प्रान्तीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद खीरी, बलिया, बस्ती, बलरामपुर, महराजगंज, बुलन्दशहर, सहायक सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2006 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद ललितपुर, मेरठ, रामपुर, बिजनौर, इलाहाबाद, बाराबंकी, यातायात गाजियाबाद, सीबीसीआईडी सेक्टर आगरा, डीजीपी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2017 में "भारतीय पुलिस सेवा" में प्रोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक, पीटीसी सीतापुर, प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में ''पुलिस उपमहानिरीक्षक'' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये। वर्तमान में पुलिस उपमहानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे।

स्वतन्त्रता दिवस 2016 के अवसर पर पुलिस पदक एवं गणतन्त्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह सिल्वर से सम्मानित किया गया।

श्री राम यज्ञ, पुलिस अधीक्षक, विशेष जाँच उ0प्र0, का जन्म 04 मई 1964 को जनपद अम्बेडकरनगर में हुआ था। वर्ष 1995 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हमीरपुर, जालौन, लखनऊ, महोबा,

सुल्तानपुर, जौनपुर, गोण्डा, मैनपुरी, गाजीपुर, वाराणसी, इटावा, जोनल ऑफिसर अभिसूचना वाराणसी, सहायक सेनानायक, 43वीं वाहिनी पीएसी एटा के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अभिसूचना गोरखपुर, अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) सोनभद्र, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया, उप सेनानायक, 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी एवं 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2019 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में प्रोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक, विशेष जाँच, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

•25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

•01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि बरामद

दिनांक 31.05.2024 को थाना सेक्टर–39 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–दीपक सहित अभियुक्त 2–अतुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दीपक के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 33 अभियोग एवं अभियुक्त अतुल कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी ग्राम आजमपुर गढी थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–अतुल कुमार निवासी भीमनगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया

•पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

•01 पिकअप वाहन

•03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 30/31.05.2024 की रात्रि को थाना अरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदकोला गॉव के जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–सलमान सहित अभियुक्त 2–शाहिद उर्फ शरीफ 3–वाजिद घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 पिकअप वाहन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सलमान जनपद एटा से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद एटा से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, कासगंज, इटावा, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या सहित डकैती, हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 34 अभियोग, अभियुक्त शाहिद उर्फ शरीफ के विरूद्ध जनपद मथुरा, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी नदरई थाना कोतवाली नगर जनपद कासगंज।

2–शाहिद उर्फ शरीफ निवासी ग्राम रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

3–वाजिद निवासी ग्राम नई थाना बिंछौर जनपद नूंह, हरियाणा।

बरामदगी

1–01 पिकअप वाहन।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद रामपुर/थाना स्वार

•पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी के चॉदी के आभूषण

•चोरी के 05 हजार रूपये नगद

•01 मोटर साइकिल

•02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 30/31.05.2024 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लखीमपुर के जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–भूरा 2–शाहिद घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के चॉदी के आभूषण, चोरी के 05 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसमें अभियुक्त भूरा के विरूद्ध जनपद रामपुर के थाना स्वार पर डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग व अभियुक्त शाहिद के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना स्वार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भूरा निवासी शिवपुरी थाना स्वार जनपद रामपुर।

2–शाहिद निवासी अहरो थाना खजुरिया जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—चोरी के चॉदी के आभूषण।

2—चोरी के 05 हजार रूपये नगद।

3—01 मोटर साइकिल।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट बरेली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 27 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 625 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 30.05.2024 को थाना आपरेशनल यूनिट बरेली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुलसीनगर हाथीवाला गेट थाना बारादरी जनपद बरेली के पास से अभियुक्त अफरोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 27 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 625 ग्राम अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी जनपद बरेली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अफरोज निवासी मो0 एजाज नगर थाना बारादरी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 27 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 625 ग्राम अवैध अफीम।

2—01 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना खरगूपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना अतरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–देवेश कुमार 2–आकाश को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/364 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–भुल्लू उर्फ जरैला 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश कुमार को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलरामपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलरामपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366ए भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना केराकत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना केराकत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेश कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महराजगंज/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/313 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।